

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

File No.1/1/3/0005/2025-GAD-3-01,

दिनांक- 07 अक्टूबर, 2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक-3/1/2/0366/**GAD-3-01**, दिनांक 30.6.2026.

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान समाहित हैं। जिसके अनुसार, प्रत्येक चयन वर्ष हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उसके पूर्ववर्ती वर्ष में सामान्यतः माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य आयोजित की जाना अनिवार्य है। इस बैठक में आगामी चयन वर्ष की 31 दिसम्बर के पूर्वान्ह तक की स्थिति में उपलब्ध उद्भूत होने वाली समस्त संभावित एवं अप्रत्याशित रिक्तियों हेतु पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।

2/ पूर्व में 31 दिसम्बर, 2025 के पूर्वान्ह तक की रिक्तियों के लिये एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की गई थी, जिसके आधार पर विभागों द्वारा वर्ष 2026 में पदोन्नति की कार्यवाही की गई है अथवा प्रचलन में है।

3/ वर्ष 2025 में पुनः माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो एवं चयन वर्ष (अर्थात 31.12.2026 के पूर्वान्ह तक) की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति

-2-

समिति की बैठक की जानी थी। जिसके संबंध में विभागों द्वारा 31.12.2026 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रक्तियों को भरने के लिये यदि बैठक आयोजित नहीं की गई हो तो बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। विभाग द्वारा यदि विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 31.12.2025 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रक्तियों भरने के साथ 31.12.2026 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा चुकी हो तो बैठक के आयोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

4/ वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो एवं आगामी चयन वर्ष (अर्थात् 31.12.2027 के पूर्वान्ह तक) की प्रत्याशित रक्तियों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2026 में माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य की जाना है।

5/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025, दिनांक 19.06.2025 के नियम 6(2) अनुसार अनिवार्य रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समय-सीमा में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति प्राप्त हो सके।

**Digitally signed by
Ankit Asthana
Date: 07-10-2026
18:00:05**

(अंकित अस्थाना)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग